-: राजस्थान सरकार :-

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0-07/2023 (सीसीएफएसए नं0 2023/7)

उनवान -सरकार बनाम अंशु अग्रवाल पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल , उम्र 37 वर्ष जाति वैश्य , मालिक मैसर्स:- अजन्ता डेयरी मिल्क,आईजी 456 एण्ड एफ 457 रीको ग्रोथ सेंटर एक्टेंशन एण्ड फूड्स प्रा0लि0, धौलपुर, निवासी बी-618, कमला नगर बैलनगंज आगरा (यू0पी0)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)/52एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय **दिनांक -21.02.2024**

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री अंशु अग्रवाल पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल , उम्र 37 वर्ष जाति वैश्य , मालिक मैसर्स:- अजन्ता डेयरी मिल्क,आईजी 456 एण्ड एफ 457 रीको ग्रोथ सेंटर एक्टेंशन एण्ड फूड्स प्रा0लि0, धौलपुर, निवासी बी-618, कमला नगर बैलनगंज आगरा (यू0पी0) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii)/52 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 11.11.2022 को अभियुक्त/अप्रार्थी के गोदाम मैसर्स : अजन्ता डेयरी मिल्क,आईजी 456 एण्ड एफ 457 रीको ग्रोथ सेंटर एक्टेंशन एण्ड फूड्स प्रा0लि0, धौलपुर निरीक्षण के दौरान गोदाम पर लगभग 500 किलोग्राम पिज्जा टॉपिंग (ऐनालॉग चीज) आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त पिज्जा टॉपिंग (ऐनालॉग चीज) में मिलावट का शक होने पर उक्त पिज्जा टॉपिंग (ऐनालॉग चीज) में से 4 पैकेट (प्रत्येक 1 किलोग्राम) पिज्जा टॉपिंग (ऐनालॉग चीज) वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त पिज्जा टॉपिंग (ऐनालॉग चीज)नमूना डी-2648 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट एलएस/1163/एसीटी/2022/1164 दिनांक 16.11.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया पिज्जा टॉपिंग (ऐनालॉग चीज) मिसब्राण्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से नोमिनी श्री अनुराग शर्मा उपस्थित हुये। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त मिसब्राण्ड पिज्जा टॉपिंग (ऐनालॉग चीज) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी मिसब्राण्ड पिज्जा टॉपिंग (ऐनालॉग चीज) बेचने का दोषी है जो धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

Scanned with CamScanner

-: राजस्थान सरकार:-

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0-07/2023 उनवानी सरकार बनाम अंशु अग्रवाल

(2)

अतः अप्रार्थी अंशु अग्रवाल पुत्र श्री मुरारीलाल अग्रवाल , उम्र 37 वर्ष जाति वैश्य , मालिक मैसर्सः- अजन्ता डेयरी मिल्क,आईजी 456 एण्ड एफ 457 रीको ग्रोथ सेंटर एक्टेंशन एण्ड फूड्स प्रा0लि0, धौलपुर, निवासी बी-618, कमला नगर बैलनगंज आगरा (यू0पी0) पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत 1,00,000/-रुपये (एक लाख रुपये) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर(राज0)

Scanned with CamScanner